मध्यप्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 08 /मुस/2020 भोपाल, दिनांक 23/03/2020

कोरोना संक्रमण के कारण लॉक-डाउन के संबंध में समेकित मार्गदर्शिका

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 18/03/2020 के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु व्यापक लोकहित, जीवन की सुरक्षा एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा Epidemic Diseases Act, 1897 अंतर्गत The Madhya Pradesh Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 अधिसूचित किये गये है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुये विभिन्न अवधियों के लिये **लॉक-डाउन** घोषित किया गया है। इस संबंध में संपूर्ण प्रदेश में की जा रही कार्यवाहियों की एकरूपता सुनिश्चित करते हुये महामारी नियंत्रण एवं रोकथाम के कार्य में और अधिक स्पष्टता लाने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है, जिनका ध्यान जिला कलेक्टर्स अपने स्तर से जारी किये जाने वाले आदेशों में रखेंगे -

A. उन जिलों के संबंध में दिशा-निर्देश जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज कोरोना पॉजिटिव पाये गये है

मध्यप्रदेश के जिन जिलों के मरीजों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेषज्ञों द्वारा औपचारिक रूप से कोरोना संक्रमण पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है, वहां लॉक-डाउन के दौरान निम्न मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यवाही की जावे -

1. वे कार्यालय/संस्थाऐं एवं उनमें पदस्थ अमला जो अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉक-डाउन से पूर्णतः मुक्त रहेंगे -

1.1 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा उनके अधीन कानून व्यवस्था एवं मजिस्ट्रियल कार्य करने वाले समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उनके कार्यालय

1.2 ऐसे अधिकारी एवं उनके कार्यालय जिन्हें शासकीय कार्य/कानून व्यवस्था हेतु मजिस्ट्रियल शक्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से सौंपी गई हो।

Scanned by CamScanner